



GPS Map Camera

Rohinpani, Chhattisgarh, India
BARAMKELA, NEAR BARAMKELA ME SCHOOL, JATRA
FIELD, BARAMKELA- GRINDOLA, H795+M8P, Rohinpani,
Chhattisgarh 496551, India
21/11/22 02:44 PM GMT +05:30

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

1. (Name of Student) pratiima Sao
S/o D/o Mr./Mrs./Ms. (Name of parent/Guardian) VISHNU SAO having been admitted to (Name of college) Sakrajeet Nayak collage Baramkela have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9,1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that
- a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being or being part of a conspiracy to promote ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declare this wednesday day of Aug month of 2022 year.

प्रतिमा साव

Signature of deponent

Name: Pratiima Sao

Class: B.A.I.

VERIFICATION

Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ on this The _____ of _____ year.

प्रतिमा साव

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____ of _____ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Dr. Shakrajeet Naik
Principal
Govt. College Baramkela

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

1. Mr./Mrs./Ms. (Name of parent/Guardian) VISHNU SAO
Father/Mother/guardian of: (Name of Student) Pratima Sao Class B.A. I &
having been admitted to _____ have received a copy of the UGC
Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereuefter called
the Regulations) carefully read and fully undertood the provions contained in the said Regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3. I have also, in particular, perused cause 7 and cause 9,1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abelting ragging actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I heredy solemnly aver and undertake that

- a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) My ward will not participate in or abet or propagate throug any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5. I hereby aaffirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law for the time being in force.

6. I hereby declare that my ward have not been expelled or debarred from ad mission in any institution in the country on account of being found gully of, abelting or being or being part of a conspiracy to promote ragging; and further affirm that, in case the declaration in found to be untire, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declare this Wednesday day of Aug month of 2022 year.

VISHNU SAO

Signature of deponet

Name: VISHNU SAO

Address: GHOGHARA

Mobile No.: 824 9164416

VERIFICATION

Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ on this _____ of _____ year.

VISHNU SAO

Signature of deponet

Solemnly affidavit and signed in my presence on this the _____ of _____
_____ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



Dr. Shakrajeet Naik
Principal
Govt. College Baramkela

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

1. (Name of Student) KHUSHBU SIDAR
S/o D/o Mr./Mrs./Ms. (Name of parent/Guardian) ASHOK SIDAR having been admitted to (Name of college) Shahed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that
- a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being or being part of a conspiracy to promote ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declare this 03 day of 08 month of 2022 year.

खुशबु सिदार
Signature of deponent
Name: KHUSHBU SIDAR
Class: B.A. 1st year

VERIFICATION

Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at 03 on this The 08 of 2022 year.

खुशबु सिदार
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the 03 of 08
22 after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Dr. Shakrajeet Naik
Principal
Govt. College Baramkela

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

1. Mr./Mrs./Ms. (Name of parent/Guardian) ASHOK SIDAR
Father/Mother/guardian of (Name of Student) KHUSHBU SIDAR Class B.A. I year year
having been admitted to B.A. I year have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereuefter called the Regulations) carefully read and fully undertood the provions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused cause 7 and cause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abelting ragging actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I heredly solemnly aver and undertake that
- a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) My ward will not participate in or abet or propagate throug any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby aaffrm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law for the time being in force.
6. I hereby declare that my ward have not been expelled or debarred from ad mission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being or being part of a conspiracy to promote ragging; and further affirm that, in case the declaration in found to be untire, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declare this 03 day of 08 month of 2022 year.

अशोक सिडार
Signature of deponet
Name: ASHOK SIDAR
Address : BARAMKELA
Mobile No.: 7389108479

VERIFICATION

Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidvit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at 03 on this 08 of 22 year.

अशोक सिडार
Signature of deponet

Solemnly affidvit and signed in my presence on this the 03 of 08
22 after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Dr. Shakrajeet Nath
Principal
Govt. College Baramkela

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ0ग0


क्रमांक / 154 / समिति / 2017

बरमकेला दिनांक 16.08.2017

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2017 -18 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - सदस्य
3. श्री सी0एल0ई0जारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 154 / समिति / 2017

बरमकेला दिनांक 16.08.2017

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय –बरमकेला ,जिला –रायगढ़,छ0ग0

क्रमांक / 161 /समिति/ 2018

बरमकेला दिनांक 21.08.2018

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन – समिति

शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला में सत्र 2018 –19 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल – सहायक प्राध्यापक,राजनीति शास्त्र – संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता – सहायक प्राध्यापक,वाणिज्य – सदस्य
3. श्री सी0एल0ईंजारदार – प्रयोगशाला तकनीशियन – सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान – प्रयोगशाला तकनीशियन – सदस्य



प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (प्र.ग.)

पू0क्रमांक / 162 /समिति/ 2018

बरमकेला दिनांक 21.08.2018

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (प्र.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ0ग0

क्रमांक / 196 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक 03.10.2019

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2019 -20 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - सदस्य
3. श्री सी0एल0ईंजारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पू0क्रमांक / 197 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक 03.10.2019

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ.ग.०

क्रमांक / 267 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक 24.02.2021

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2020 -21 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ० चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे - सहायक प्राध्यापक, भूगोल - सदस्य
4. श्री सी०एल०ई०आर०दादर - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
5. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 268 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ.ग.०

क्रमांक / 121 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक 22/10/2021

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2021 -22 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ० चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे - सहायक प्राध्यापक, भूगोल - सदस्य
4. श्री सी०एल०ई०जारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
5. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 122 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला, जिला
– रायगढ़, छ०ग०

क्रमांक / 155 / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक 15.07.2022

एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन – समिति

डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला में सत्र 2022 –23 हेतु एण्टी रैगिंग एवं अनुशासन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. डॉ० चन्द्रशेखर पटेल – सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र – संयोजक
2. अक्षय कुमार गुप्ता – सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य – सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे – सहायक प्राध्यापक, भूगोल – सदस्य
4. हुलेश कुमार राठौर – सहायक प्राध्यापक, हिन्दी – सदस्य
5. कु० हेमादी साहू – सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र – सदस्य


प्राचार्य

डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
बरमकेला (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 155-A / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य

डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
बरमकेला (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय -बरमकेला ,जिला -रायगढ़,छ0ग0

क्रमांक / 148 /समिति/ 2017

बरमकेला दिनांक 16/8/2017

शिकायत निवारण - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2017 -18 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक,वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक,राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. श्री सी0एल0ईजारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 148 /समिति/ 2017

बरमकेला दिनांक 16.8.2017

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ0ग0

क्रमांक / 163 / समिति / 2018

बरमकेला दिनांक 21.08.2018

शिकायत निवारण - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2018 -19 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. श्री सी0एल0ईंजारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पू0क्रमांक / 164 / समिति / 2018

बरमकेला दिनांक 21.8.2018

izrfyfi %&

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छत्तगढ़

क्रमांक / 198 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक 03.10.2019

शिकायत निवारण - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2019 -20 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ० चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. श्री सी०एल०ई०जारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छत्तगढ़)

पृ०क्रमांक / 199 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छत्तगढ़)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ0ग0

क्रमांक / 269 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक 24.02.2021

शिकायत निवारण - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2020 -21 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ० चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे - सहायक प्राध्यापक, भूगोल - सदस्य
4. श्री सी0एल0ईजास्दार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
5. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य




प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 270 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।



प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ0ग0

क्रमांक / 108 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक 22.10.2021

शिकायत निवारण - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2021 -22 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ0 चन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे - सहायक प्राध्यापक, भूगोल - सदस्य
4. श्री सी0एल0ईंजारदार - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
5. श्री नरसिंह दीवान - प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य



प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 109 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।



प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला
- रायगढ़, छ०ग०

क्रमांक / 15th / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक 15-07-2022

शिकायत निवारण - समिति

डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2022 -23 हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अक्षय कुमार गुप्ता - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - संयोजक
2. डॉ० धन्द्रशेखर पटेल - सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. सुरेश कुमार साकरे - सहायक प्राध्यापक, भूगोल - सदस्य
4. माधव कुमार भोय - सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र - सदस्य
5. श्रीमती दर्शना जतिन पोपट - सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य - सदस्य


प्राचार्य
डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
ब. शकाजीत नायक शास. महा. बरमकेला,
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 15th / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक 15-07-2022

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूधनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
ब. शकाजीत नायक शास. महा. बरमकेला,
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय -बरमकेला ,जिला -रायगढ़,छ0ग0

क्रमांक / 142 /समिति/ 2017

बरमकेला दिनांक 16.8.2017

महिला उत्पीड़न समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2017 -18 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन - संयोजक
2. कु0 रेखा प्रधान - अतिथि व्याख्याता,अर्थशास्त्र - सदस्य
3. कु0 ऐश्वर्या षडंगी - अतिथि व्याख्याता, रसायन शास्त्र- सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़(छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 142 /समिति/ 2017

बरमकेला दिनांक 16.8.2017

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला, जिला – रायगढ़, छ.ग.ग.

क्रमांक / 170 / समिति / 2018

बरमकेला दिनांक 21.08.2018

महिला उत्पीड़न समिति

शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला में सत्र 2018 –19 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन – संयोजक
2. कु० अनिता पटेल – अतिथि व्याख्याता, भौतिकी – सदस्य
3. कु० दीपिका मेहर – अतिथि व्याख्याता, गणित – सदस्य
4. श्रीमती रतनकुंवर सिदार – भृत्य – सदस्य


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 171 / समिति / 2018

बरमकेला दिनांक

लेफ्टी 368

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला, जिला – रायगढ़, छ.ग.०

क्रमांक / 200 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक 03.10.2019

महिला उत्पीड़न – समिति

शासकीय महाविद्यालय – बरमकेला में सत्र 2019 – 20 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन – संयोजक
2. कु० दीपिका मेहर – अतिथि व्याख्याता, गागित- सदस्य
3. श्रीमती रतनकुंवर सिदार – भृत्य – सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 201 / समिति / 2019

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ.ग.ग.

क्रमांक / 271 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक 24.02.2021

महिला उत्पीड़न - समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2020 -21 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन - संयोजक
2. श्रीमती गीता पटेल - अतिथि व्याख्याता, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. श्रीमती रतनकुंवर सिदार - भृत्य - सदस्य
4. श्रीमती मोंगरा बाई निराला - भृत्य - सदस्य


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 272 / समिति / 2020

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला - रायगढ़, छ.ग.०

क्रमांक / 112 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक 22.10.2021

महिला उत्पीड़न समिति

शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2021 -22 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन - संयोजक
2. श्रीमती गीता पटेल - अतिथि व्याख्याता, राजनीति शास्त्र - सदस्य
3. कु० दीपिका मेहर - अतिथि व्याख्याता, गणित - सदस्य
4. श्रीमती रतनकुंवर सिदार - भृत्य - सदस्य
5. श्रीमती मोंगरा बाई निराला - भृत्य - सदस्य


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

पृ० क्रमांक / 113 / समिति / 2021

बरमकेला दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बरमकेला
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला, जिला
- रायगढ़, छ०ग०


क्रमांक / 152 / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक 15.07.2022

महिला उत्पीड़न समिति

डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय - बरमकेला में सत्र 2022 -23 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. कु० हेमाद्री साहू - सहायक प्राध्यापक - रसायनशास्त्र - संयोजक
2. श्रीमती दर्शना जतिन पोपट - सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य - सदस्य
3. श्रीमती जागृति सिंह ठाकुर, प्रयोगशाला तकनीशियन - सदस्य
4. श्रीमती रतनकुंवर सिदार - भृत्य - सदस्य
5. श्रीमती मोंगरा बाई निराला - भृत्य - सदस्य



डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
ब. शकाजीत नायक शास. महा. बरमकेला,
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ०क्रमांक / 153 / समिति / 2022

बरमकेला दिनांक 15.07.2022

प्रतिलिपि :-

6. सर्व संबंधित को सूधनार्थ एवं पालनार्थ
7. महाविद्यालय आदेश नस्ती ।


डॉ० शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय
ब. शकाजीत नायक शास. महा. बरमकेला,
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

